CNR NO. UPDE 0100 3404 2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी–धनेन्द्र प्रताप सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–-UP2O16

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1379/2026

1. भृगुनाथ यादव पुत्र स्व0 रामसिंगार यादव
2. राहुल यादव पुत्र जयद्रथ यादव
निवासीगण ग्राम–पिडहनी, थाना–रूद्रपुर, जिला–देवरिया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण,

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध संख्या–323/2026
धारा–105, 352, 351(3) भा0 न्या0 सं0
थाना–रूद्रपुर, जिला–देवरिया।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **भृगुनाथ यादव व राहुल यादव,** जो अपराध संख्या–323/2026, धारा–105, 352, 351(3) भा0 न्या0 सं0, थाना–रूद्रपुर, जनपद देवरिया के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथकर्ता चन्दन यादव, द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो किसी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल है, न खारिज है और न विचाराधीन है।

3. प्रथम सूचनाकर्ता योगेन्द्र यादव द्वारा थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गई कि दिनांक 08.07.2026 को समय शाम 05:00 बजे IGRS की जांच में उपजिलाधिकारी रूद्रपुर मौजा पिडहनी आये और उसके पिता सर्वजीत पुत्र स्व0 रघुवीर यादव व बैजनाथ व भृगुनाथ पुत्रगण रामसिंगार यादव व राहुल यादव वहां उपस्थित थे। समस्या के निदान के उपरान्त विपक्षी बैजनाथ व भृगुनाथ पुत्रगण रामसिंगार व राहुल यादव ने उसके पिता को जान से मारने हेतु पक्के खडण्जे पर एक साथ धकेला जिससे उन्हें अंदरूनी घाव व दर्द हुआ। तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गये, जहां उनकी तत्काल मृत्यु हो गयी। विपक्षी उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गये। अतः उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है।

4. प्रथम सूचनाकर्ता के उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिनांक 08.07.2026 को अभियुक्तगण बैजनाथ यादव, भृगुनाथ एवं राहुल यादव के विरूद्ध थाना–रूद्रपुर, जिला–देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या–323/2026, अंतर्गत धारा–103(1), 351(3) भा0 न्या0 सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं दौरान विवेचना धारा–103(1) बी.एन.एस. को तरमीम

करके धारा–105 बी.एन.एस. किया गया एवं धारा–352 बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गई है।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि वे निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उन्हें फर्जी तौर पर गांव की दुश्मनी वश झूठे फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को थाना रूद्रपुर की पुलिस दिनांक 08.07.2026 को घर से पकड़कर थाने पर लाई तथा दिनांक 11.07.2026 को तीन दिन विधि विरूद्ध निरूद्ध कर न्यायालय चालान कर दिया तब से प्रार्थीगण जेल में निरूद्ध है। सबूत पक्ष के अनुसार घटना दिनांक–08.07.2026 के 5 बजे शाम की कही जाती है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रुद्रपुर में उसी रात को 23:59 बजे वादी मुकदमा योगेन्द्र यादव द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व एक अन्य नामजद के विरुद्ध धारा–103(1) व 351(3) BNS में दर्ज करायी गयी जिसमे दौरान विवेचना अपराध अंतर्गत धारा–105, 352, 351(3) BNS में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का चालान किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तरीके का कोई अपराध नहीं किया गया है बल्कि सत्य यह है कि प्रार्थी सं. 1 के भाई बैजनाथ यादव द्वारा IGRS पर अपने रास्ते को वादी के घर वालों द्वारा बन्द करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी जाँच के सम्बन्ध में SDM रुद्रपुर दिनांक–08.07.26 को सायं 5 बजे पिड़हनी गावं में आये हुए थे जहां गावं के कुछ लोगों के साथ–साथ वादी के पिता सर्वजीत भी मौजूद थे। उसी दौरान एकाएक सर्वजीत यादव को दिल का दौरा पड़ गया और वह गिर गये। वादी मुकदमा द्वारा इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने पक्ष के लोगों व ग्राम प्रधान पति के द्वारा SDM के गाड़ी को घेर लिया गया डरवश बैजनाथ अपने घर में छिप गये SDM को भी भागकर किसी घर में छिपे। वादी पक्ष के लोगों द्वारा गोल बनाकर बैजनाथ के घर को घेरकर हमला कर फाटक तोड़ दिया गया और घर में घुस कर बैजनाथ व उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया गया इसी दौरान शोर सुनकर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण भी वहां पहुंचे। कई थानों की पुलिस भी वहां आ गई जिसने सह अभियुक्त बैजनाथ को वादी पक्ष को कब्जे से छुड़ाकर अस्पताल भिजवाया और प्रार्थीगण को भी उठाकर थाने पर लेकर चली आई। जहां तक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को सूचना मिली है कि SDM साहब भी वादीगण के कब्जे से पुलिस के आने के बाद ही मुक्त हुए थे तथा वादी पक्ष व प्रधान के दबाव के तहत झूठा मुकदमा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध वाद में सोच समझकर पूर्व समयांकित कराया गया है। तथाकथित घटना के समय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मौके पर मौजूद नहीं थे न तो उनके द्वारा कोई IGRS का प्रार्थना पत्र दिया गया था, केवल बैजनाथ सह अभियुक्त के परिवार के होने के कारण अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के बताये गये विवरण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु के कारण का आपस में काफी विरोधाभाष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढने से ही यह साफ जाहिर हो रहा है कि वह मनगढन्त व बनावटी है उसमे स्वभाविकता का काफी अभाव है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है न ही किसी अपराध में कभी जेल गये है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 11.07.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये

जाने का निवेदन किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ता के पिता को जान से मारने की नियत से उन्हें पक्के खण्डजे पर धक्का देकर अंदरूनी चोटें कारित किया गया जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध को गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् रूप से अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित केस डायरी एवं संबंधित अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ता के पिता को जान से मारने की नियत से उन्हें पक्के खण्डजे पर धक्का देकर अंदरूनी चोटें कारित करने जिससे प्रथम सूचनाकर्ता के पिता की मृत्यु होने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी.एन.एस.एस. में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का समर्थन किया गया है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Cause of Death : Could not be ascertained तथा Viscera preserved for chemical examination and whole heart preserved for histopathological analysis अंकित है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित तथ्यों से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार इस स्तर पर विद्यमान नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में किए गए कथन साक्ष्य एवं विचारण का विषय है।

9. अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, उपरोक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **भृगुनाथ यादव व राहुल यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–28.07.2026

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।